

प्रेषक,

राकेश कुमार,  
उप सचिव,  
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियाँ, उ०प्र०,  
लखनऊ

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 2011

विषय : वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दिये गये ऋण/ब्याज की  
अदायगी के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-1046/लेखा-अ/एनसीडीसी, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 एवं पत्र सं०-1048/लेखा-अ/एनसीडीसी, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु दिये गये ऋणों के भुगतान (वापसी) हेतु मूलधन के मद में रूपये 7,43,30,699/- (रूपये सात करोड़ तैंतालिस लाख तीस हजार छै सौ निन्यानबे मात्र) एवं ब्याज के मद में रूपये 3,43,74,000/- (रूपये तीन करोड़ तेतालिस लाख चौहत्तर हजार मात्र) अर्थात् कुल रू० 10,87,04,699/- (रूपये दस करोड़ सत्तासी लाख चार हजार छः सौ निन्यानबे मात्र) की धनराशि का भुगतान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को करने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत निम्न लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा :-

लेखाशीर्षक

धनराशि (रूपये में)

ब्याज

2049- ब्याज अदायगियाँ-आयोजनेत्तर

01- आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

200- अन्य आन्तरिक ऋण पर ब्याज

03- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त  
ऋणों पर ब्याज

32- ब्याज/लाभांश

मतदेय

भारित

रू० 3,43,74,000.00

मूलधन

6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-आयोजनेत्तर

108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज

03- लिये गये ऋण का प्रतिदान

मतदेय  
भारित

रु० 7,43,30,699.00

कुल धनराशि

रु० 10,87,04,699.00

(रूपये दस करोड़ सत्तासी लाख चार हजार छः सौ निन्यानबें मात्र )

3- उपर्युक्त धनराशि के आहरण एवं वितरण हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है। उपर्युक्त धनराशि का आहरण कर उसका भुगतान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के पक्ष में अलग-अलग धनराशि के बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नई दिल्ली में देय हो, बनवाकर दिनांक 05-01-2012 तक या इसके पूर्व वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016 को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें तथा प्राप्ति रसीद की एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही विगत में प्राप्त तथा भविष्य में भी एन०सी०डी०सी०, नई दिल्ली से प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि के लेखा-जोखा के रख-रखाव का दायित्व निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ०प्र० के स्तर से रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-यू०ओ०-बी-345/दस-2011, दिनांक: 13-12-2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


( राकेश कुमार )  
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-3115(1)/49-3-2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उप महालेखाकार (राजकोष एवं वी०एल०सी०), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी,)-प्रथम उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- उप महालेखाकार (राजकोष), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी,)-द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
- 4- सहायक निदेशक (लेखा) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4,सीरी, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली को उनके पत्रांक NCDC:A&C/14/1/रिपे/2005-06/4190,दिनांक 11-10-2011 के सन्दर्भ में।
- 5- मुख्य निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, लखनऊ।
- 6- वेब मास्टर, कार्यालय निबंधक, सहकारी समितियाँ उ०प्र० लखनऊ।
- 7- वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-3/वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
( राकेश कुमार )  
उप सचिव।

02

प्रपेस्ट होना है।